रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2016/आषाढ़ 23, 1938

No. 486] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2016/ASADHA 23, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 693(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी / विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी / विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल में (इंजीनियरी / विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में –

(1) हैड कांस्टेबल (वायरमैन / लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन / विद्युत, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मेकैनिक) के पद से संबंधित स्तंभ (7) के तहत जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओ से संबंधित है, की मद (ग) एवं (घ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) चिकित्सा मानक :

(i) दृष्टि :

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहा तक की चश्मे के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा ।	– दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाईं आख उसी प्रकार बाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बाईं आंख बेहतर होनी चाहिए। – द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है ।

(ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखो में भेंगापन नही होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.–III होनी चाहिए ।

(iii) अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नही होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन मे बाधा पडने की संभावना हो ।

(घ) अभ्यर्थी को तकनीकी योग्यता एवं व्यवसाय परीक्षण मे लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर उतीर्ण होना आवश्यक होगा";

(2) कांस्टेबल (जनरेटर ऑपरेटर) के पद से संबधित, स्तभ (7) के तहत जो सीधे भर्ती किए जाने वालेयक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओ से संबंधित है, की मद (ग) एवं (घ) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) चिकित्सा मानक :

(i) दृष्टि :

सहायता रहित दृश्य तीक्ष्णता (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	टिप्पणी
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख		
एन6	एन9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार का दृष्टि सुधार यहा तक की चश्मे के द्वारा भी, स्वीकार्य नहीं होगा ।	– दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की दाई आंख उसी प्रकार बाए हाथ से कार्य करने वाले व्यक्तियों की बांई आंख बेहतर होनी चाहिए। – द्विनेत्री दृष्टि की आवश्यकता है।

(ii) अभ्यर्थियों को संहतजानु, सपाट तलवे, स्फीत शिरा या आंखो मे भेंगापन नही होना चाहिए और उनकी दृष्टि, इशहारा के द्वारा सी.पी.–III होनी चाहिए ।

(iii) अभ्यर्थी मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के होने चाहिए और कोई भी ऐसी शारीरिक व्याधि नही होनी चाहिए जिससे कि सक्षमतापूर्वक कार्य संपादन मे बाधा पडने की संभावना हो।

(घ) अभ्यर्थी को तकनीकी योग्यता एवं व्यवसाय परीक्षण में लिखित व प्रयोगात्मक तौर पर उतीर्ण होना आवश्यक होगा";

[फा. स.–17/102/2015–कार्मिक/सीसुबल]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण:–मूल नियम, दिनांक 15 मार्च, 2012 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150(अ), दिनांक 14 मार्च, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, भाग–II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2016

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clauses (b) and (c) of sub-section(2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2012, namely: -

1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force (Engineering/Electrical) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2012, in the Schedule,

(1) against the post of Head Constable (Wireman/Lineman, Electrician/Electrical, Generator Operator, Generator Mechanic) under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for items (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

" (c) Medical Standards:

(i) Eye Sight:

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses.	In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA vision,

(iii) The candidates must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical";

(2) against the post of Constable(Generator Operator) under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, for items (c) and (d) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"(c) Medical Standards:

(i) Eye Sight:

Visual Acuity unaided (NEAR VISION)		Uncorrected Visual acuity (Distant Vision)		Refraction	Remarks
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye		
N6	N9	6/6	6/9	Visual correction of any kind is not permitted even by the glasses.	In right handed person, the right eye is better eye and vice versa. Binocular vision is required.

(ii) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess CP III BY ISIHARA vision.

(iii) The candidates must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(d) Must qualify technical aptitude and trade test both in written and practical".

[F. No. 17/102/2015-Pers/BSF]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th March, 2012 vide notification number G.S.R.150(E), dated the 14th March, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.